मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (योजना) संशोधित नियम, 2016

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ
2. 7. राहत एवं सहायता
3. 10 पुनर्वास
    1) मासिक निर्वाह भत्ता
    2) रोजगार
    3) कृषि भूमि
    4) बच्चों की शिक्षा
    5) सामाजिक पुनर्वास

मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (योजना) संशोधित नियम, 2016

क्रमांक 322]	भोपाल, सोमवार, दिनांक अगस्त 2016–श्रावण 10, शक 1938

क्रमांक एफ 23-13/2012/4/25 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम 2016 के नियम 10 उपनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति (अकास्मिता योजना) नियम 1995 संशोधन नियम 2014 का और संशोधन करने के लिये उपबंधो को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिये योजना बनाई जाति है अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ -

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (योजना) संशोधित नियम, 2016 कहलाएंगे ।

(2) ये नियम म.प्र. शासन द्वारा जारी परिपत्र दिनांक से प्रभावशील होंगे ।

2. 7. राहत एवं सहायता

जिला दंडाधिकारी द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त होते ही तत्काल विभिन्न अत्याचारों के लिए पीड़ित व्यक्तियों, उनके परिवार या आश्रितों को निम्नानुसार सहायता/राहत दी जाएगी । पीडित अथवा आश्रितजन के सेविंग बैक अकाउण्ट में सीधे जमा किये जायेंगे ।

उपाबंध

(नियम 12 (4) देखिये)

(रहत राशि के लिये मापदण्ड)

क्रं.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखना अधिनियम की धारा 3 (1) (क)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपये । पीड़ित व्यक्ति को का संदाय निम्नानुसार किया जाये -
2	मलमूत्र, मल, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (ख)	(i) कम संख्याक (2) और (3) के लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) पर 10 प्रतिशत और कम संख्याक (1), (4) और (5) के लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रकम पर 25 प्रतिशत । (ii) जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाता है तब 50 प्रतिशत, (iii) जब अभियुक्त व्यक्ति कम संख्या (2) और (3) के लिये अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध कर दिया जाता है तब 40 प्रतिशत और इसी प्रकार कम संख्याक (1), (4) और (5) के लिये 25 प्रतिशत पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपये | जहाँ आवश्यक
3	क्षति करने, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव इकट्ठा करना अधिनियम की धारा 3 (1) (ग)	
4	जूतों की माला पहनाना या नग्न या अर्ध नग्न घुमाना | अधिनियम की धारा 3 (1) (घ)	
5	बलपूर्वक ऐसे कार्य करना जैसा कपड़ा	

	उतारकर, बलपूर्वक सिर का मुण्डन करना, मूंछें हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना अधिनियम की धारा 3 (1) (ड)	हो वहां सम्बंधित राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा सरकारी खर्चे पर भूमि या परिसर या जल आपूर्ति या सिंचाई सुविधा वापस लौटाई जाएगी | पीड़ित व्यक्ति को निम्नानुसार संदाय किया जायेगा - (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत, (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत
6	भूमि को सदोष अधिभोग में लेना या उसपर खेती करना अधिनियम की धारा 3(1) (च)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपये | संदाय निम्नानुसार किया जायेगा | (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत, (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत
7	भूमि या परिसरों से सदोष कब्ज़ा करना या अधिकारों जिनके अधीन वन अधिकार भी हैं के साथ हस्तक्षेप करना अधिनियम की धारा 3 (1) (च)	
8	बेगार या अन्य प्रकार के बलातश्रम या बंधुआ श्रम (अधिनियम की धारा 3 (1) (ज)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपये | संदाय निम्नानुसार किया जायेगा | (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत, (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत
9	मानव या पशु शवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिये विवश करना (अधिनियम की धारा 3(1) झ))	
10	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करवाना या ऐसे प्रयोजन के लिये उसे नियोजित करना (अधिनियम की धारा 3(1) ञ))	
11	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को देवदासी के रूप में कार्य निष्पादन करने या समर्पण का संवर्धन करने (अधिनियम की धारा 3(1) ट))	
12	मतदान करने या नाम निर्देशन फाइल करने से निवारित करना (अधिनियम की धारा 3(1) ठ))	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रुपये | संदाय निम्नानुसार किया जायेगा | (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत,
13	पंचायत या नगर पालिका के पद के धारक को कर्तव्यों के पालन में मजबूर करना या अभित्रस्त करना या उनमें व्यवधान डालना	

	(अधिनियम की धारा 3(1) ड))	(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत
14	मतदान के पश्चात् हिंसा सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का अधिरोपण (अधिनियम की धारा 3(1) दी	
15	किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिये मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने के लिये इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करना (अधिनियम की धारा 3(1) (ण)	
16	मिथ्या, दोषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्रवाइयाँ संस्थित करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (त)	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रुपये | संदाय निम्नानुसार किया जायेगा | (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत, (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत
17	किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या तुच्छ सूचना देना (अधिनियम की धारा 3 (1) (थ)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपये या वास्तविक विधिक खर्चो और नुकसाहनयां की प्रतिपूर्ति जो भी कम है संदाय निम्नानुसार किया जायेगा | (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत, (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत
18	लोक द्रष्टि में आने वाले किसी स्थान पर साशय अपमान या अपमानित करने के लिए अभित्रास (अधिनियम की धारा 3 (1) (द)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपये | संदाय निम्नानुसार किया जायेगा | (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत, (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत
19	लोक द्रष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से गाली गलौच करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (ध)	
20	धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करना, हानि पहुंचाना या उसे अपवित्र करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (न)	
21	शत्रुता, घृणा, से वैमन्सय की भावनाओं में अभिवृद्धि करना	

	(अधिनियम की धारा 3 (1) (प)	
22	अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (फ)	
23	किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को साशय ऐसे कार्यो या अंग विक्षेपों का उपयोग करके जो लैंगिक प्रकृति के कार्य के रूप में हों, उसकी सहमति के बिना उसे स्पर्श करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (ब))	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपये | संदाय निम्नानुसार किया जायेगा | (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत, (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत
24	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326 ख (1860 का 45) स्वैच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना । (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (फ क))	(क) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका चेहरा 2 प्रतिशत या उससे अधिक जला हुआ हैं या आंख, कान नाक और मुंह के प्रकार्य हास और या शरीर पर 30 प्रतिशत से अधिक जलन की क्षति की दशा में आठ लाख पच्चीस हजार रूपये, (ख) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका शरीर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच में जला हुआ है, चार लाख पंद्रह हजार रूपये (ग) ऐसा पीड़ित व्यक्ति. चेहरे के अतिरिक्त, जिसका शरीर 10 प्रतिशत से कम जला हुआ है को पचासी हजार रूपये । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन अम्ल के हमले के पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिये पूरी जिम्मेदारी लेगा । मद क, स, ग निबंधनानुसार संदाय किया जायेगा - (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत, (ii) चिकित्सा रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर 50 प्रतिशत,
25	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 (1860 का 45) स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस हमला या आपराधिक बल का प्रयोग (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (v क)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपये | संदाय निम्नानुसार किया जायेगा | (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत,

		अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत
26	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 (1860 का 46) (लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़ने के लिये दण्ड) (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2) (v क))	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपये | संदाय निम्नानुसार किया जायेगा | (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत, (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत
27	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 (ख) 1850 का 45) निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2) (v क))	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपये | संदाय निम्नानुसार किया जायेगा | (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत, (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत
28	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 ग (1860 का 45) दृश्यरतिकता (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (v क))	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपये | संदाय निम्नानुसार किया जायेगा | (iv) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत, (v) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत, (vi) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 40 प्रतिशत
29	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 घ (1860 का 45) पीछा करना अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (v क))	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपये | संदाय निम्नानुसार किया जायेगा | (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत, (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 40 प्रतिशत
30	भारतीय दण्ड संहिता धारा 376 ख (1860 का 45) पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथून (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपये | संदाय निम्नानुसार किया जायेगा | (i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात् 50 प्रतिशत,

	3 (2) (v क)	(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 25 प्रतिशत, (iii) अवर न्यायालय द्‌वारा अभियुक्त के दोष सिद्‌ध किये जाने पर 25 प्रतिशत
31	भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ग (1860 का 45) प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्‌वारा मैथून (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (v क))	पीड़ित व्यक्ति को चार लाख रुपये | संदाय निम्नानुसार किया जायेगा | (i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात्‌ 50 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 25 प्रतिशत, (iii) अवर न्यायालय द्‌वारा अभियुक्त के दोष सिद्‌ध किये जाने पर 25 प्रतिशत
32	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 509 (1860 का 45) शब्द, अंग विक्षेय या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिये आशयित है । अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2) (Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपये | संदाय निम्नानुसार किया जायेगा | (i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात्‌ 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर 50 प्रतिशत, (iii) अवर न्यायालय द्‌वारा अभियुक्त के दोष सिद्‌ध किये जाने पर 25 प्रतिशत
33	जल को दूषित या गन्दा करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (भ))	सामान्य सुविधा जिसके अंतर्गत जब पानी दूषित कर दिया जाता है, की सफाई भी है, को वापस लौटाने का पूरा खर्च संबंद्‌ध राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्‌वारा वहन किया जायेगा । इसके अतिरिक्त आठ लाख पच्चीस हजार की रकम स्थानीय निकाय के परामर्श से जिला प्राधिकारी द्‌वारा विनिश्चय की जाने वाली प्रकृति की सामुदायिक आस्तियों को सृजित करने के लिये जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा की जाये ।
34	लोक समागम के ऐसे स्थान से गुजरने के किसी रुढिजन्य अधिकार से इनकार या लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उसपर पहुंच रखने में बाधा पहुंचाना (अधिनियम की धारा 3 (1) (म))	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्‌वारा पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पच्चीस हजार रूपये और गुजरने के अधिकार के प्रत्यावर्तन का खर्च । संदाय निम्नानुसार किया जायेगा - (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत, (iii) अवर न्यायालय द्‌वारा अभियुक्त के दोष सिद्‌ध किये जाने पर 25 प्रतिशत

35	गृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (य))	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गृह, ग्राम या निवास के अन्य स्थान पर स्थल या ठहरने के अधिकार की बहाली और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपये की राहत तथा सरकारी खर्चे पर गृह का पुन: संनिर्माण, यदि विनिष्ट हो गया है । संदाय निम्नानुसार किया जायेगा - (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत, (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत, (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत
36	निम्नलिखित के सम्बन्ध में, किसी रीति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को बाधा डालना या निवारित करना- (अ) क्षेत्र की सामान्य संपत्ति या अन्य के साथ समानता के आधार पर कब्रिस्तान या शमशान भूमि या किसी नदी, धारा, झरना, कुआँ, टैंक होज, नल, या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवाहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग (अधिनियम की धारा 3 (1) (य क) (अ)	(अ) क्षेत्र की सामान्य संपत्ति संसाधनों कब्रिस्तान या श्मशान भूमि का अन्य के साथ समानता के आधार पर उपयोग को या किसी नदी, धारा, झरना, कुआँ, टैंक, होज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवाहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग समानता के आधार पर संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाल करना और पीड़ित को एक लाख रूपये की राहत । संदाय निम्नानुसार किया जायेगा | (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) पर 25 पर 25 प्रतिशत, (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता हैं, (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर
	(आ) सार्वजानिक स्थानों पर साईकिल या मोटर साईकिल पर सवार होना या जूतादि या नये वस्त्र पहनना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना (अधिनियम की धारा 3 (1) (य क) (आ)	(आ) सार्वजानिक स्थानों पर साईकिल या मोटर साईकिल पत्र सवार होना या जूतादि या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपये का अनुतोष संदाय निम्नानुसार किया जायेगा - (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) पर 25 पर 25 प्रतिशत, (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता हैं,

		(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर
	(इ) किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के है या कोई धार्मिक जूलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा हैं, निकालना या उनमें भाग लेना | (अधिनियम की धारा 3 (1) (य क) (इ)	(इ) अन्य व्यक्तियों के साथ समानता पूर्वक किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए है, जो उसी धर्म के है या कोई धार्मिक जुलूस, या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस जिसके अंतर्गत यात्रा हैं, निकालना या उनमें भाग लेने के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपये का अनुतोष | संदाय निम्नानुसार किया जायेगा- (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) पर 25 पर 25 प्रतिशत, (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता हैं, (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर
	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना या पब्लिक के लिए खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग | (अधिनियम की धारा 3 (1) (य क) (ई)	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना या पब्लिक के लिए खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं के उपयोग की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपये का अनुतोष संदाय निम्नानुसार किया जायेगा | (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) पर 25 पर 25 प्रतिशत, (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता हैं, (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर
	(उ) कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारवार करना या किसी	(उ) कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारवार करना या किसी कार्य में नियोजन जिनमें

	कार्य में नियोजन जिनमें पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उसके किसी भाव का उपयोग करने का या उस तक पहुंच का अधिकार हैं | (अधिनियम की धारा 3 (1) (य क) (उ)	पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उसके किसी भाव का उपयोग करने का या उस तक पहुंच के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपये का अनुतोष | संदाय निम्नानुसार किया जायेगा | (iv) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) पर 25 पर 25 प्रतिशत, (v) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता हैं, (vi) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर
37	डायन होने या जादू-टोना करने का आरोप लगाने से शारीरिक क्षति या मानसिक अपहानि पारित करनाफ़ | (अधिनियम की धारा 3 (1) (य ख)	पीड़ित को एक लाख रुपये और उसके अनादर बेइज्ज्ती, क्षति और उसकी अवमानना के अनुसार संदाय | (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) पर 25 पर 25 प्रतिशत, (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता हैं, (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर
38	सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करना या उसकी धमकी देना | (अधिनियम की धारा 3 (1) (य ग)	सम्बंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से सभी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं की बहाली और पीड़ित को एक लाख रुपये का अनुतोष | जिसका संदाय पूर्ण रूप रूप से अवर न्यायालय को आरोप पत्र भेजने पर किया जाएगा |
39	मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना | (अधिनियम की धारा 3 (2) (i) और (ii)	पीड़ित को चार लाख पचास हजार रुपये संदाय निम्नानुसार किया जायेगा | (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) पर 25 पर 25 प्रतिशत, (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता हैं, (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर
40	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध करना जो 10 वर्ष से उससे अधिक के कारावास से दंडनीय हैं | (अधिनियम की धारा 3 (2)	पीड़ित और या उसके आश्रितों को चार लाख रुपये | इस रकम में फेरफार हो सकता हैं | यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपलब्ध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा -

		(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) पर 25 पर 25 प्रतिशत, (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता हैं, (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर
41	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, जो ऐसे दंड से दंडनीय है जैसा ऐसे के लिए भारतीय दंड संहिता में विनिर्दिष्ट किया गया हैं | (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2) (v a)	पीड़ित और या उसके आश्रितों को दो लाख रुपये | इस रकम में फेरफार हो सकता हैं | यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपलब्ध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जायेगा | (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) पर 25 पर 25 प्रतिशत, (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता हैं, (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर
42	लोक सेवक के हाथों पीड़ित करना (अधिनियम की धारा 3 (2) (vii)	पीड़ित और या उसके आश्रितों को दो लाख रुपये | संदाय निम्नानुसार किया जायेगा - (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) पर 25 पर 25 प्रतिशत, (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता हैं, (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर
43	नि:शक्तता | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. 16-18/97-एन. आई. तारीख 1 जून, 2001 में प्रमाणन की प्रक्रिया के लिए अंतविर्शिट विभिन्न नि:शक्तताओं के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत | अधिसूचना की एक प्रति उपाबंध 2 पर है |	
	(क) शत-प्रतिशत अक्षमता	पीड़ितों को आठ लाख और पच्चीस हजार रुपये | संदाय निम्नानुसार किया जायेगा - (i) चिकित्सा जाँच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्टी के पश्चात 50 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है,
	(ख) जहाँ अक्षमता शत-प्रतिशत से कम है	पीड़ितों को चार लाख और पच्चीस हजार रुपये | संदाय

	किन्तु पचास प्रतिशत से अधिक है |	निम्नानुसार किया जायेगा - (i) चिकित्सा जाँच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्टी के पश्चात् 50 प्रतिशत - (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है,
	(ग) जहाँ अक्षमता पचास प्रतिशत से कम है |	पीड़ितों को दो लाख और पचास हजार रुपये | संदाय निम्नानुसार किया जायेगा - (i) चिकित्सा जाँच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्टी के पश्चात् 50 प्रतिशतसंदाय निम्नानुसार किया जायेगा - (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है,
44	बलात्संग या सामूहिक बलात्संग (i) बलात्संग (भारतीय दंड संहिता (1860 का 45 की धारा 375)	पीड़ितों को पांच लाख रुपये संदाय निम्नानुसार किया जायेगा - (i) चिकित्सा जाँच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्टी के पश्चात् 50 प्रतिशत (ii) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता हैं (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत
	(ii) सामूहिक बलात्संग (भारतीय दंड संहिता 1860 का 45) की धारा 376 (घ)	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रुपये संदाय निम्नानुसार किया जायेगा - (i) चिकित्सा जाँच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्टी के पश्चात् 50 प्रतिशत (ii) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता हैं (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत
45	हत्या या मृत्यु	(पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रुपये संदाय निम्नानुसार किया जायेगा - (i) शव परीक्षा के पश्चात् 50 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को

		भेजे जाने पर।
46	हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीड़ितों को अतिरिक्त अनुतोष।	पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष का अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नानुसार प्रबंध किया जाएगा :- (i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्ध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों के प्रतिमास पांच हजार रुपये की मूल पेंशन के साथ अनुज्ञेय महंगाई भत्ता, जैसा सम्बंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवकों को लागू है और मृतक के कुटुंब के सदस्यों को रोजगार और कृषि भूमि, घर यदि तुरंत क्रय द्वारा आवश्यक हो, का उपबंध (ii) पीड़ित के बालकों की स्नातक स्तर तक शिक्षा की पूरी लागत और उनका भरण-पोषण। बालकों को सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित आश्रम स्कूलों या आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जा सकेगा। (iii) बर्तनों, चावल, गेहूं, दालों, दलहन आदि तीन मास की अवधि के लिए उपबंध।
47	घरों को पूर्णतया नष्ट करना या जलाना।	ईटों या पत्थरों से बने हुए घरों का निर्माण या सरकारी लागत पर उन्हें वहां उपलब्ध कराना जहाँ उन्हें पूर्णतया जला दिया गया है या नष्ट कर दिया गया हैं।"

3. 10 पुनर्वास -

पीड़ित व्यक्ति, उसके परिवार, आश्रितों, मृतक के आश्रितों के पुनर्वास हेतु निम्न सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएगी :-

(1) मासिक निर्वाह भत्ता :-

(अ) यदि अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी सदस्य की फसल नष्ट कर दी गई है तो अगली फसल आने तक या अधिकतम तीन माह तक 4500/- निर्वाह भत्ते के रूप में पीड़ित परिवार को दिया जाएगा | ताकि वह पुनः फसल उगा सकें |

(ब)यदि मकान जला दिया जाता है तो तीन माह की अवधि तक परिवार के भरण-पोषण हेतु चावल, दाल, गेहूं आदि कलेक्टर द्वारा निर्धारित मात्रा प्रति व्यक्ति अधिकतम 30 किलो दिया जाएगा | साथ ही बर्तन आदि दिए जाएँगे |

(स)उत्पीड़न के कारण कमाने वाले व्यक्ति की शत-प्रतिशत स्थाई शारीरिक अक्षमता होने पर उपरोक्त (अ) एवं (ब) अनुसार सहायता परिवार को उपलब्ध कराई जाएगी |

(2) रोजगार -

मृतक की विधवा अथवा उसकी संतानों या आश्रितों में किसी एक को 6 माह के अन्दर रोजगार दिया जायेगा | कलेक्टर जिलें में ही रोजगार निर्धारित सयमावधि में दी जाना सुनिश्चित करेंगे |

(3) कृषि भूमि:

यदि पीड़ित परिवार के एक सदस्य को रोजगार प्रदाय नहीं किया जाता है और परिवार भूमिहीन हो तो कलेक्टर 6 माह के अन्दर कम से कम 2 एकड़ कृषि भूमि पीड़ित परिवार के आश्रितजन को कलेक्टर द्वारा यथा संभव उपलब्ध कराई जाएगी |

(4) बच्चों की शिक्षा:

मृतक के 18 वर्ष से कम उम्र के पुत्र-पुत्रियों को एक माह के अन्दर छात्रावास/आश्रम में प्रवेश दिया जाकर उनकी 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक अथवा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने तक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी | ऐसे बालक-बालिकाओं को माह की अवधि के लिए शिष्यवृत्ति की पात्रता होगी | इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्तर पर 1000/- माध्यमिक स्तर पर 1500/- हाईस्कूल व हायर सेकेंडरी स्तर व स्नातक स्तर पर 3000/- रु. प्रतिवर्ष पहनने के कपड़े, जूतें, पुस्तके तथा अभ्यास पुस्तिकाओं, स्टेशनरी आदि के लिए दिए जाएँगे |

(5) सामाजिक पुनर्वास:

(अ) यदि कोई बलात्कार से पीड़ित अविवाहित महिला से कोई युवक/व्यक्ति शादी करता है

तो शादी का व्यय अधिकतम 25,000/- तथा युवक/व्यक्ति को स्वरोजगार हेतु 50,000/-की अनुदान सहायता व बैंक से ऋण अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की स्वरोजगार योजनाओं के तहत उपलब्ध कराया जाएगा |

(ब) यदि मृतक की पत्नी (विधवा) शादी करती है तो शादी का व्यय अधिकतम 25,000/- दिए जाएँगे |

(स)यदि माता/पिता की हत्या हो जाती है तो पुत्री/पुत्रियों के विवाह के लिए 25,000/- प्रत्येक

पुत्री के लिए दिए जाएँगे |

(द) शैक्षणिक संस्थाओं में वाद-विवाद एवं लेखन प्रतियोगिताएँ -

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों व उच्चतर माध्यमिक शालाओं में प्रत्येक वर्ष 2 अक्तूबर को वाद-विवाद एवं लेखन प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएंगी तथा विजेता व उपविजेता को निम्नानुसार पुरुस्कार दिया जाएगा :-

	वाद-विवाद प्रतियोगिता	**लेखन प्रतियोगिता**
(अ) महाविद्यालय		
(1) प्रथम पुरुस्कार	2000/-	2000/-
(2) द्वितीय पुरुस्कार	1500/-	1500/-
(3) तृतीय पुरस्कार	1000/-	1000/-
(ब) उच्चतर माध्यमिक स्तर		
(1) प्रथम पुरुस्कार	1500/-	1500/-
(2) द्वितीय पुरुस्कार	1000/-	1000/-
(3) तृतीय पुरस्कार	500/-	500/-

उपरोक्त पुरुस्कारों के अतिरिक्त महाविद्यालयों को प्रतियोगिता आयोजन हेतु 2500/-रुपये प्रति प्रतियोगिता एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं को रु, 2000/-प्रति प्रतियोगिता के मान से राशि उपलब्ध कराई जाएगी |

विश्वविद्यालय स्तर एवं प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु 15,000/-रु. की राशि दी जाएगी | विश्वविद्यालय स्तर पर पुरुस्कार राशि रुपये 3000/-, 2000/-एवं 1500/- होगी |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मधुकर आग्नेय, उपसचिव.